08.10.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित
प्रार्थी ने अपना मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम
हाजरी कर लिया गया है। इसलिए मूल वाद पत्र
अदम पैरवी/अदम हाजरी होने के कारण
प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह
जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी
का उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.
ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.10.18 13:51:16 IST
Reason: SelfAttested